

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
SUB REGISTRAR KUCHAMAN CITY
KUCHAMAN CITY
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2015002872 Dated : 29/06/2015
Presenter Name : RAMESHWARLAL Face Value : 280080
Presenter Address : MOLASI(SIKAR) TAIGOR SHIKSHAN SANSTHAN K.CITY
Document Type : Lease deed for local bodies (Patta)
Claimant Name : RAMESHWARLAL, MOLASI(SIKAR) SACHIV TAIGOR.S.S.K.CITY
Document S.No. : 2015003383 Stamp Value : 300

Ordinary Registration Fee	: 2810	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 300	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 13710
Surcharge on Stamp Duty	: 1410		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 18230

-----Already Paid-----
E-Stamp No : / Amount : 0

(Paid) - DD No. : / Amount : 0
DD Drawn Bank : /

(Paid) - EGRAS GRN No. : / Amount : 0
Deposit Bank : / Date :

(Paid) - E-Stamp Id No. : IN-RJ03114079123883N / Amount : 15120
E-Stamp Date : 29/06/2015

(Paid) - E-Mitra Token No. : / Amount : 0
E-Mitra Token Date : 29/06/2015


(Paid) - SHCIL Recpt No. : RJ1929351506304 / Amount : 3110
SHCIL Receipt Date : 29/06/2015

(Paid) - Cash Recpt No. : / Amount : 0
Date :

Amount Rs. Eighteen Thousand Two Hundred Thirty only


Cashier




Sub Registrar, KUCHAMANCITY
उप-पंजीयक
कुचामन सिटी (नागौर)




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No.	: IN-RJ03114079123883N
Certificate Issued Date	: 29-Jun-2015 07:12 PM
Account Reference	: IMPACC (CR)/ rjacimp10/ KUCHMENCITY/ RJ-NG
Unique Doc. Reference	: SUBIN-RJRJACIMP1003543111191645N
Purchased by	: KALU RAM
Description of Document	: Article 33(c)(ii) Lease Deed for Local Bodies (Patta)
Property Description	: VILL. TORDA
Consideration Price (Rs.)	: 2,80,080 (Two Lakh Eighty Thousand And Eighty only)
First Party	: ZILA COLLECTOR
Second Party	: RAMESHWAR LAL
Stamp Duty Paid By	: RAMESHWAR LAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 15,120 (Fifteen Thousand One Hundred And Twenty only)



Please write or type below this line.....

*रूप-पंजियक
नगर सिटी (नगौर)*


WN 0001637543

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at 'www.shilostamp.com'. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.

राजस्थान सरकार
कार्यालय विहित प्राधिकारी (जिला कलक्टर) नासौर

राजस्थान सरकार
कार्यालय विहित प्राधिकारी (जिला कलक्टर) नासौर



क्रमांक : एफ.12(72)/राजस्व/2015/



संपरिवर्तन आदेश

टेगौर शिक्षण संस्थान कुचामनसिटी जरिये सचिव श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी मौलासी तहसील व जिला सीकर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधारी में धारित कृषि भूमि का राजस्व (ग्रुप-9) विभाग के पत्र क्रमांक प.2(32)राजस्व/भूरू./2015 दिनांक 13.04.2015 द्वारा प्रदत्त राजकीय स्वीकृति की अनुपालना में "राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007" के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजनों के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं :


1	आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम पिता का नाम/पति का नाम, पता	टेगौर शिक्षण संस्थान कुचामनसिटी जरिये वर्तमान सचिव श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी मौलासी तहसील व जिला सीकर
2	आवेदक क्या अ.जा. या अ.ज.जा. का सदस्य है	नहीं
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :- क. ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम ख. भूमि का ख.नं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल ग. प्रत्येक खसरा नंबर के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल	ग्राम टोरड़ा, ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरड़ा, तहसील कुचामनसिटी मौजा टोरड़ा के खसरा नम्बर 1052 रकबा 4.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1060 रकबा 1.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1063 रकबा 2.10 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1066 रकबा 5.46 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 14.14 हैक्टेयर मौजा टोरड़ा के खसरा नम्बर 1052 रकबा 4.20 हैक्टेयर में से 0.50, खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.70 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1060 रकबा 1.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1063 रकबा 2.10 हैक्टेयर में से 0.76 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1066 रकबा 5.46 हैक्टेयर में से 1.01 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 14.14 हैक्टेयर में से 4 हैक्टेयर
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक संस्था प्रयोजनार्थ
5	संदेय प्रीमियम की दर	नियम-7 के अनुसार
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या 173/जीआरएन 5181463 दिनांक 24.2.2015 द्वारा 2,80,080/- रुपये(अक्षरे दो लाख अस्सी हजार अस्सी रुपये मात्र) राजकोष में जमा हो चुके हैं।
7	चालान संख्या/तारीख, शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	शून्य
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	शून्य
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम-13 के अधीन जारी किया गया है ?	नहीं
10	अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो तो	-



11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा ।

उप-प्राधिकारी
कुचामन सिटी (नासौर)



श्री लक्ष्मणराम जाति
सचिव
टेगौर शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नासौर)

2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की समावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी, तथा आवेदक द्वारा प्रीमियम के रूप में जमा करवाई गई राशि प्रत्याहृत हो जायेगी।
3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
4. शैक्षणिक संस्था प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. इंडियन रोड कांग्रेस मापदंडानुसार भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ते हुए एवं यदि इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंडों में वर्णित सड़क मार्ग से शैक्षणिक संस्था तक जाने के लिये रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संघारित सड़क मार्ग एवं अन्य मार्ग से शैक्षणिक संस्था तक जाने के लिए रास्ता चाहते हैं तो सा.नि.विभाग से पूर्वानुमति लेनी होगी एवं सड़क सीमा/राष्ट्रीय मार्ग/राज्यमार्ग आदि की निर्धारित नोर्म्सानुसार दूरी छोड़कर एवं सड़क सीमा में आने वाली भूमि का राज हक में समर्पण करवाकर निर्माण कार्य कराना होगा।
6. उक्त संपरिवर्तन शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के लिए इस कार्यालय की अनापत्ति अथवा सहमति नहीं मानी जावे। शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के संबंध में संबंधित विभागों की राय के अनुसार कोई भी उचित निर्णय लेने के लिए यह कार्यालय स्वतंत्र रहेगा।
7. संबंधित विभाग की अनापत्ति/सहमति उपरान्त यदि इस रूपान्तरित भूमि पर शैक्षणिक संस्था स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो निकटतम स्थानीय निकाय विभाग एवं विभागीय नियम के प्रावधानों/मापदंडानुसार शैक्षणिक संस्था स्थापित करनी होगी।
8. नक्शा ब्ल्यू प्रिन्ट एवं नक्शा ट्रेस को संपरिवर्तन आदेश का हिस्सा माना जावेगा।



जिला कलक्टर,
नागौर

क्रमांक : सम/ 2572-2579

दिनांक : 29/6/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान जयपुर को पत्र क्रमांक प.2(32)राजस्व/भू.रू./2015 दिनांक 13.04.2015 की पालना में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. उप खण्ड अधिकारी, कुचामन।
3. तहसीलदार, कुचामन को भेजकर लेख है कि उक्त संपरिवर्तित भूमि का उपयोग निश्चित समयावधि में जिस प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है, उसी उपयोग में ली जा रही है, या नहीं का प्रमाण पत्र अपने स्तर पर लेवे एवं यदि भूमि का उपयोग जिस प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है, उस प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया गया हो, तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवावे।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत, रूपपुरा टोरड़ा, पंचायत समिति, कुचामनसिटी।
5. श्री टैगौर शिक्षण संस्थान कुचामनसिटी जरिये सचिव श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी मौलासी।
6. जिला राजस्व लेखाकार, कलेक्ट्रेट, नागौर।
7. तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील कार्यालय कुचामन।
8. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर,
नागौर



श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री लक्ष्मणराम
सचिव
टैगौर शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)



राजस्थान RAJASTHAN

Y 902143

संपरिवर्तन आदेश के पंजीयन के लिए स्टाम्प प्रती हेतु सलग्न।



श. शंकर लाल शर्मा
सचिव
टैगोर शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

उप-पंजीयक
कुचामन सिटी (नागौर)



राजस्थान RAJASTHAN

Y 902145



संपर्कित आदेश के पंजीयन के लिए स्टाम्प पूर्ति हेतु संपन्न


उप-पंजीयक
कुचामन सिटी (नागौर)

श्री अरुण कुमार
सचिव
देगोर शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)



राजस्थान RAJASTHAN

Y 902144



संपरिवर्तन आदेश के पंजीयन के लिए स्टाम्प प्रति हेतु संपन्न

साक्षी-1. भुवेंद्र कुमार वैष्णव
 साक्षी रुपा राम वैष्णव
 नि. न्यायिकिया

(Handwritten signature)

साक्षी-2 रामकरण रणवा
 साक्षी बालू लाल रणवा
 नि. बासा


(Handwritten signature)


श्री श्री मालवेंद्र
 सचिव
 टैगोर शिक्षण संस्थान
 कुचामन सिटी (नागौर)


(Handwritten signature)
 उप-पंजीयक
 कुचामन सिटी (नागौर)



नं. ज. ज. नुम्बरा इस
ग्राम: टोरडा
गा.प. रूपपुरा-टोरडा
माप: 1:1cm = 40m

40





उप-पञ्जीयक अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)


राहशीलदार
कुचामन सिटी (नागौर)

2092
15/11/15




उप-पञ्जीयक
कुचामन सिटी (नागौर)



श. नं. 200/11/15/15
सचिव
टोरडा सिटी नगरपालिका
कुचामन सिटी (नागौर)

संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ भू - रूपान्तरण हेतु (साईट प्लॉन)

टैगोर शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी, जिला - नागौर (राज.)

ख. नं. 1052, 1059, 1060, 1063, 1066, ग्राम - टोरडा, ग्राम - पंचायत -
रूपपुरा - टोरडा, तह. कुचामन, जिला - नागौर (राज.)

PLOT AREA (A) = 113m X 95.31m = 10770.00 Sq.Mt.

PLOT AREA (B) = 255m X 116m = 29580.00 Sq.Mt.

TOTAL PLOT AREA (A+B) = 40350.00 Sq.Mt.

राजहक में छोड़ी गई भूमि LESS ROAD AREA = 35m X 10m = 350.00 Sq.Mt.

TOTAL CONVERSION AREA = 40000.00 Sq.Mt.

= 4.00 Hectore



खसरा नं. 1052
की शेष भूमि

खसरा नं. 1066
की शेष भूमि

खसरा नं. 1063
की शेष भूमि

खसरा नं. 1059
की शेष भूमि

ख. नं. 1052 की कुल भूमि 4.20 में से 0.23 है.
ख. नं. 1059 की कुल भूमि 0.70 में से 0.05 है.
ख. नं. 1060 की कुल भूमि 1.68 में से 1.68 है.
ख. नं. 1063 की कुल भूमि 2.10 में से 0.76 है.
ख. नं. 1066 की कुल भूमि 5.46 में से 1.28 है.

कुल भूमि = 14.14 है. में से 4 है.

ख. नं. 1066 में से राजहक में छोड़ी गई भूमि = 350.00 Sq.Mt.

SCALE = 1" = 100m

CONVERT AREA SHOWN IN RED

B-33/2/15

बिनिम प्लानर
कुचामन सिटी (नागौर)

कुचामन सिटी (नागौर)

सचिव
टैगोर शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)